UPRB010082732022

न्यायालय –अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट) रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी– RAM NET, (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6379

सत्र परीक्षण संख्या-1776/2022
मुकदमा अपराध संख्या-134/2021
राज्य प्रति विक्की उर्फ विवेक आदि।
धारा-307, 504, 323 भा०दं०सं० व
धारा- 27/30 आर्म्स एक्ट।
थाना कृष्णा नगर, जिला लखनऊ।

दिनांक 07.05.2024

1- आज पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। अभियुक्तगण विवेक उर्फ विक्की तथा भागचन्द की तरफ से आज हाजिरी मांफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है। अभियोजन पक्ष के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० पर अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की विस्तृत बहस दिनांक 03.04.2024 को सुनी गयी है।

2- आज मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

3- अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० कागज संख्या 36 ख प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि दिनांक 29.03.2021 को वादी मुकदमा/ चोटहिल द्वारा तीन अभियुक्तगण विवेक उर्फ विक्की, भागचन्द्र चन्दानी तथा पवन के विरूद्ध थाना कृष्णा नगर जनपद लखनऊ में अपराध संख्या 134/2021 अन्तर्गत धारा 307/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कराया गया था लेकिन मामले के विवेचक द्वारा सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध उचित तरीके से साक्ष्यों का संकलन नहीं किया गया और विवेचक के द्वारा जय प्रकाश लखमानी, अजय लखमानी तथा आकाश रंगलानी के बयान के आधार पर अभियुक्त पवन पुत्र भागचन्द चन्दानी का नाम आरोपपत्र से निकाल दिया गया। विवेचक के द्वारा विवेचना राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत की गयी है। आवेदक/ वादी मुकदमा अपने बयान में विक्की तथा भागचन्द चंदानी के अलावा पवन का भी नाम घटना कारित करने के सम्बन्ध में किया है लेकिन विवेचक विधि विरूद्ध तरीके से अभियुक्त पवन का नाम निकाल दिया है। आवेदक न्यायालय में बतौर अभियोजन साक्षी प्रथम (पी०डब्लू० 1) के रूप में दिनांक 27.03.2023 को यह बयान दिया है कि- "फिर मैं गिर गया। और पवन ने मुझे लात जूतों से मारना शुरू कर दिया। हाजिर अदालत........... मारा पीटा था। पवन ने मुझे गोली लगने के बाद लात घूसों से मारा था। ...जब मुझे विक्की ने गोली मारी तो पवन ने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे थे।" आवेदक वादी मुकदमा का यह कथन है कि उसके उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि घटना के दिन घटना कारित करने में अन्य अभियुक्तगण के साथ

Digitally signed by RAM NET
Date: 2024.05.31 11:58:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त पवन भी सम्मिलित था। वादी मुकदमा/आवेदक का भाई राजेश पाण्डेय अभियोजन साक्षी द्वितीय (पी०डब्लू० 2) दिनांक 20.04.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर यह बयान दिया है कि " मेरे छोटे भाई राकेश पांडे व हमारे पड़ोसी भाग चंद व उनका बेटा विक्की व दूसरा बेटा पवन तीनों लोग से झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होते हुए मैंने देखा था। विक्की के हाथ में पिस्टल थी। भागचंद विक्की के पिता जी कह रह थे कि इसको गोली मार दो। पवन राकेश का हाथ पकड़े हुए थे। मैं देखा था कि वह लात घुसे से मार रहे थे।"

वादी मुकदमा/आवेदक द्वारा उपरोक्त कथन करते हुये यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त पवन, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त बनाया गया था लेकिन विवेचक के द्वारा गलत तरीके से उसका नाम आरोपपत्र से निकाल दिया गया, को वादी मुकदमा तथा उसके भाई द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान के आधार पर बतौर अभियुक्त तलब किया जाय।

4- बचाव पक्ष की तरफ से आपत्ति कागज संख्या 38 ख प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायालय में स्वयं के द्वारा पी०डब्लू० 1 के रूप में तथा स्वयं के भाई का पी०डब्लू० 2 के रूप में दिये गये बयान के आधार पर पवन लखमानी को तलब करने का निवेदन किया गया है लेकिन उपरोक्त बयानों के आधार पर पवन को अभियुक्त बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। वादी मुकदमा के द्वारा असत्य कथन करते हुये प्रस्तुत वाद योजित किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के उपरान्त विवेचना के दौरान स्वतंत्र साक्षीगण आजाद, जय प्रकाश लखमानी, अजय लखमानी, आकाश रंगलानी तथा प्रमोद कुमार मनध्यान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० के आधार पर विवेचक ने पवन लखमानी को निर्दोष होना पाया तथा न्यायालय में अपनी आख्या प्रस्तुत की तो न्यायालय के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त पवन को रिहा कर दिया गया। न्यायालय का उक्त आदेश अंतिम है और जब एक बार पवन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अन्तर्गत छोड़ दिया गया तो अब उसे पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत तलब नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष का कथन पूर्णतः अव्यवहारिक है। पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर पवन लखमानी की अपराध में संलिप्तता साबित हो। अभियुक्त कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जब भी वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के विरूद्ध पांच आपराधिक मामले दर्ज है। पी०डब्लू० 1 दिनांक 27.03.2023 को अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 9 पर यह बयान दिया है कि "घटना के समय कौन-कौन लोग थे मुझे ध्यान नहीं। मेरे भाई राजेश पाण्डेय गोली चलाने के बाद गोली की आवाज सुनकर आये थे।-----जब मुझे विक्की ने गोली मारी तो पवन ने मेरे दोनो हाथ पकड़ रखे थे। पवन ने मेरे हाथ आगे से पकड़ रखे थे।... ... .. यह कहना सही है कि गिरने व भागचन्द द्वारा लात घूसों से मारने की बात एफ०आई०आर० में नहीं लिखवायी थी।" पी०डब्लू० 2 राजेश पाण्डेय दिनांक 13.07.2023 को यह बयान दिया है कि भागचन्द व पवन ने पकड़ा था। विक्की ने गोली चलाई थी। पी०डब्लू० 2

अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 में यह बयान दिया है कि "फायरिंग की आवाज सुनकर भागचन्द लखमानी का बड़ा बेटा घर के अन्दर से आया था" लेकन पी०डब्लू० 2 न्यायालय में अपनी मुख्य्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा दोनों में पी०डब्लू० 1 से प्रभावित होकर अपना बयान बदल दिया है। स्वतंत्र साक्षियों ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह बयान दिये है कि " फायरिंग की आवाज सुनकर भागचन्द लखमानी का बड़ा बेटा पवन घर के अन्दर से आया था। वह गलत जेल चला गया है। वादी मुकदमा ने यह बयान दिया है कि भागचन्द लखमानी तथा उसके दोनों पुत्र विक्की लखमानी तथा पवन लखमानी घटना के समय नशे में थे और नशे की हालत में ही वादी मुकदमा के घर के सामने उपद्रव कर रहे थे लेकिन इस आशय की कोई चिकित्सीय आख्या नहीं है कि उपरोक्त लोग नशे की हालत में थे। विवेचक ने अस्पताल में वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 की विडियों रिकार्डिंग तैयार की थी जिसमें वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 ने बयान दिया था कि विक्की ने उसे गोली मारी थी तथा भागचन्द ने उसे मारा-पीटा था लेकिन वादी मुकमदा अस्पताल में पवन लखमानी का नाम नहीं लिया था। पी०डब्लू० 2 वादी मुकदमा का भाई होने के कारण हितबद्ध साक्षी है। पी०डब्लू० 1 तथा पी०डब्लू० 2 दोनो ही हितबद्ध साक्षी हैं। जिनके आधार पर पवन लखमानी को बतौर अभियुक्त तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है। गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अदालती बयान में विरोधाभाष है। स्वतंत्र साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर विवेचक के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 की कार्यवाही की गयी थी तथा धारा 169 की कार्यवाही के आधार पर न्यायालय के द्वारा पवन लखमानी को जेल से रिहा किया गया था। एक बार धारा 169 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हो जाने के बाद पवन लखमानी को पुनः धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से तलब नहीं किया जा सकता है। अतः वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

5- अभियोजन पक्ष की तरफ से निम्नलिखित विधि व्यवस्थाये प्रस्तुत की गयी हैं:-

1- Mishri lal Vs. State of U.P. & Anr. [2022(1) JIC 827 (All)].

2- Ishwar Vs. State of U.P. & Anr. [2023(1) JIC 375 (All)].

6- बचाव पक्ष की तरफ से निम्नलिखित विधि व्यवस्थाये प्रस्तुत की गयी हैं:-

1- CRIMINAL APPEAL NO. 3172 OF 2023 Arif & ors. Vs State of Rajasthan Anr. (Hon’ble Supprem Court. Deted 16.05.2023)

7- **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 उपबन्धित करती है कि-**

धारा 319- Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence- (1) Where, in the course of any inquiry into, or trial of, an offence, it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence for which such person could be tried together with the accused, the Court may proceed against such person for the offence which he appears to have committed.

(2) Where such person is not attending the Court, he may be arrested or summoned, as the circumstances of the case may require, for the purpose aforesaid.

(3) Any person attending the Court although not under arrest or upon a summons, may be detained by such Court for the purpose of the inquiry into, or trial of, the offence which he appears to have committed.

(a) the proceeding in respect of such person shall be commenced afresh, and the witnesses re-heard;

(b) subject to the provisions of clause (a), the case may proceed as if such person had been an accused person when the Court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial was commenced.

8- सर्व प्रथम माननीय उच्चतम् न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णीत वाद Hardeep Singh vs. State of Panjab and Others (2014) 3 SCC पेज 92 में माननीय संवैधानिक पीठ द्वारा दिये गये निर्णय के कुछ मुख्य-मुख्य अंश का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है।

"(84) The word "evidence" therefore has to be understood in its wider sense both at the stage of trial and, as discussed earlier, even at the stage of inquiry, as used under Section 319, Code of Criminal procedure. The Court, therefore, should be understood to have the power to proceed against any person after summoning him on the basis of any such material as brought forth before it. The duty and obligation of the Court becomes more onerous to invoke such powers cautiously on such material after evidence has been led during trial.

(85) In view of the discussion made and the conclusion drawn hereinabove, the answer to the aforesaid question posed is that apart from evidence recorded during trial, any material that has been received by the Court after cogni zance is taken and before the trial commences, can be utilised only for corroboration and to support the evidence recorded by the Court to invoke the power under Section 319, Code of Criminal Procedure. The "evidence" is thus, limited to the evidence recorded during trail.

XXXXXXXXXX

(105) Power under Section 319 Code of Criminal Procedure is a discretionary and an extra-ordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. It is not to be exercised because the Magistrate or the Sessions Judge is of the opinion that some other person may also be guilty of committing that offence. Only where strong and cogent evidence occurs against a person that such power should be exercised and not in a casual and cavalier manner.

(106) Thus, we hold that though only a prima facie case is to be established from the evidence led before the Court not necessarily tested on the anvil of Cross-Examination, it requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. **The test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction. In the absence of such satisfaction, the Court should refrain from exercising power under Section 319 of the Code of Criminal Procedure.** In Section 319, Code of criminal Procedure the purpose of providing if "it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence" is clear from the words "for which the accused." **The words used are not "for which such person could be convicted." There is therefore, no scope for the Court acting under Section 319, Code of Criminal Procedure to form any opinion as to the guilt of the accused."**

(107) In Joginder Singh & Anr. v. State of Punjab & Anr., AIR 1979 SC 339, a three-Judge Bench of this Court held that as regards the contention that the phrase "any person not being the accused" occurring in Section 319 Cr.P.C. excludes from its operation an accused who has been released by the police under Section 169 Cr.P.C. and has been shown in Column 2 of the charge-sheet, the contention has merely to be rejected. The said expression clearly covers any person who is not being tried already by the Court and the very purpose of enacting such a provision like Section 319 (1) Cr.P.C. clearly shows that even persons who have been dropped by the police during investigation but against whom evidence showing their involvement in the offence comes before the criminal court, are included in the said expression.

XXXXXXXXXX

(111) Even the Constitution Bench in Dharm pal (CB) has held that the Sessions Court can also exercise its original jurisdiction and summon a person as an accused in case his name appears in Column 2 of the charge-sheet, once the case had been committed to it. **It means that a person whose name does not appear even in the FIR or in the charge-sheet or whose name appears in the FIR and not in the main part of the charge-sheet but in the Column 2 and has not been summoned as an accused in exercise of the powers under Section 193, Cr.P.C. can still be summoned by the Court, provided the Court is satisfied that the conditions provided in the said statutory provisions stand fulfilled.**

XXXXXXXXXX

(117.6) A person not named in the FIR or a person though named in the FIR but has not been charge-sheeted or a person who has been discharged can be summoned under Section 319 Code of Criminal Procedure provided from the evidence it appears that such person can be tried along with the accused already facing trial. **However, in so far as an accused who has been discharged is concerned the requirement of Sections 300 and 398 Code of Criminal Procedure has to be complied with before he can be summoned a fresh."**

9- माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह (उपरोक्त) के मामले में व्यक्त किये गये मत से यह स्पष्ट है कि धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय की शक्ति विवेकीय है जिसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब मामले की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हो। धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित शब्दावली "साक्ष्य" का अर्थ न्यायालय में विचारण के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से है और जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य केवल संपुष्टि के लिये ही इस्तेमाल हो सकते हैं। अतिरिक्त अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में तलब किये जाने हेतु न्यायालय में अभियोजन पक्ष के साक्षी या साक्षियों की मुख्य परीक्षा भी पर्याप्त है और उनकी प्रतिपरीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि अभियोजन साक्षियों के मुख्य परीक्षा के आधार पर किसी अतिरिक्त अभियुक्त को तलब किये जाने का पर्याप्त आधार बनता है तो उस अतिरिक्त अभियुक्त को धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये तलब किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में दर्ज कराया गया था लेकिन उसका नाम विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा लिये गये कुछ साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर निकाल दिया गया है या धारा 169 दण्ड प्रक्रिया संहिता का इस्तेमाल करके पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है और तद्नुसार आरोपपत्र में अभियुक्त के रूप में उसका नाम न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया है या किसी अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा उन्मोचित कर दिया गया है तो विचारण प्रारम्भ होने के बाद अभियोजन साक्षियों के अदालती बयान के आधार पर उस व्यक्ति को पुनः अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में तलब किया जा सकता है। धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करके अतिरिक्त अभियुक्त को तलब किये जाने के समय न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन साक्षियों के अदालती बयान उस सीमा से अधिक होने चाहिए जितना कि आरोप विरचित किये जाते समय आवश्यक होता है लेकिन धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय की संतुष्टि उस सीमा तक अवश्य होनी चाहिए कि यदि अभियोजन साक्षी या साक्षियों के उक्त अदालती बयान अखण्डनीय बने रह जाते हैं तो उक्त अखण्डनीय साक्ष्य के आधार पर धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत तलब होने वाले अतिरिक्त अभियुक्त की सजा हो सकती है हालांकि धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अतिरिक्त अभियुक्त को तलब किये जाते समय उसकी दोषसिद्धी पर राय बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि न्यायालय ऊपर उल्लिखित सीमा तक संतुष्ट नहीं होता है तो न्यायालय को धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जहां तक उन्मोचित अभियुक्त का प्रश्न है, उन्मोचित अभियुक्त को धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनः तलब किये जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 तथा 398 के उपबन्धों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

10 (1)- उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 राकेश पाण्डेय अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 में यह कथन किया है कि "आज दिनांक 29.03.2021 को समय लगभग सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच में मेरे घर के सामने रहने वाले विक्की पुत्र भागचन्द चंदानी, पवन पुत्र अज्ञात और भागचन्द चंदानी, निवासी पूरन नगर, आलम बाग, लखनऊ निकट मेरे घर के सामने जो होली के त्यौहार के दिन अपने घर के बाहर मेरे घर के सामने दारू के नशे में उपरोक्त सभी लोग उपद्रव मचा रहे थे। प्रार्थी ने मना किया तो भागचन्द ने प्रार्थी को मां बहन की गन्दी-गन्दी गालियां देते हुये थप्पड़ जड़ दिया और विक्की की लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल कर अपने पास से विक्की को दिया, पवन से कहा कि राकेश पाण्डेय का हाथ पकड़ कर और विक्की से कहा कि राकेश पाण्डेय को गोली मार दो, इतना कहते ही विक्की ने रिवाल्वर को लोड़ किया तथा पांच राउंड गोली चलाई जिसमें प्रार्थी को गली में मौके वारदात पर गोली लग गयी। प्रार्थी तुरन्त मौके पर गिर पड़ा, मौके पर अज्ञात दूध देने वाले को भी गोली लग गयी थी।"

10 (2)- विवेचक के द्वारा वादी मुकदमा का बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किया गया है जिसमें वादी मुकदमा ने यह बयान दिया है कि " दिनांक 29.03.2021 को समय लगभग 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच में मेरे घर के सामने रहने वाले विवेक उर्फ विक्की पुत्र भागचन्द लखमानी निवासी 565/21, पूरन नगर, आलमब बाग थाना कृष्णा नगर लखनऊ, पवन पुत्र भागचन्द लखमानी निवासी 565/21 पूरन नगर आलम बाग, थाना कृष्णा नगर, लखनऊ, भागचन्द लखमानी पुत्र स्व० नारूमल लखमानी निवासी 565/21 पूरन नगर आलम बाग, थाना कृष्णा नगर, लखनऊ, निकट मेरे घर के सामने जो होली के त्यौहार के दिन अपने घर के बाहर मेरे घर के सामने दारू के नशे में उपरोक्त सभी लोग उपद्रव मचा रहे थे मेरे मना करने पर भागचन्द ने मुझे मां बहन की गन्दी-गन्दी गालियां देते हुये थप्पड़ जड़ दिया और विक्की की लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल कर अपने पास से विक्की को दिया, पवन से कहा कि राकेश पाण्डेय का हाथ पकड़ लो और विक्की से कहा कि राकेश पाण्डेय को गोली मार दो इतना कहते ही विक्की ने रिवाल्वर/पिस्टल को लोड़ किया तथा मुझे जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर पांच राउंड फायर किये जिसमें मुझे गले में गोली लग गयी मैं तुरन्त मौके पर गिर पड़ा तथा एक व्यक्ति दूध देने वाले को भी गोली लग गयी है।"

10 (3)- वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के रूप में न्यायालय में अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि " इस मुकदमें के अभियुक्त पर विक्की पुत्र भागचन्द चन्दानी, पवन पुत्र भागचन्द चंदानी एवं भागचन्द चंदानी पुत्र स्व० नारूमल लखमानी मेरे मोहल्ले के हैं। मैं उनको जानता पहचानता हूँ। घटना दिनांक 29.03.2021 समय 11.30 से 12.00 बजे दोपहर की है। उपरोक्त अभियुक्तगण मेरे घर के सामने होली के त्यौहार के दिन नशे में हुडदंग मचा रहे थे।

मैंने मना किया तो इतने में भागचन्द ने मां बहन की गाली देते हुये थप्पड़ मार दिया, इतने में भागचन्द ने पवन से कहा कि राकेश पाण्डेय के हाथ पकड़ लो भागचन्द विक्की की लाइसेंसी रिवाल्वर लगाये हुये थे। रिवाल्वर या पिस्टल (जो भी थी) अपने पास से निकल कर विक्की को दी और कहा कि राकेश पाण्डेय को गोली मार दो, विक्की ने रिवाल्वर लोड करके पांच राउंड फायर मुझ पर किया, गोली मेरे बाये कान पर नीचे गले पर अन्दर की ओर घुसते हुये गर्दन से बाहर निकल गयी, फिर मैं गिर गया, **और पवन ने मुझे लात जूतों से मारना शुरू कर दिया**... ... ... **...**हाजिर अदालत अभियुक्त भागचन्द को देखकर पीड़ित ने बताया कि यह वही व्यक्ति है जो अपने दोनों पुत्रों विक्की और पवन के साथ एकराय होकर मुझे जाने से मारने की नियत से अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से विक्की से फायर कराया था। भद्दी-भद्दी गाली देते हुये मारा-पीटा था।"

10 (4)- वादी मुकदमा अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ पांच पर यह बयान दिया है कि "पवन हाथ में कुछ नहीं लिये थे।" वादी मुकदमा अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ छः पर यह बयान दिया है कि **"पवन ने मुझे गोली लगने के बाद लात घूसों से मारा था।** मैं मौके पर गिर गया था। गिरने के बाद भागचन्द ने भी मुझे लात घूसों से मारा था। विक्की ने भागचन्द के कहने पर सामने से गोली मार दी। **जब मुझे विक्की ने गोली मारी तो पवन ने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे थे। पवन ने मेरे हाथ आगे से पकड़ रखे थे।"** वादी मुकदमा अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ सात पर यह बयान दिया है कि " **पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मैंने पवन का नाम लिया था, पुलिस ने बयान की विडियों रिकार्डिंग भी की थी।"** वादी मुकदमा अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ आठ पर यह बयान दिया है कि " **मैंने बचने का प्रयास किया था, पवन ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। भागने की कोशिश मैंने की थी।"** वादी मुकदमा अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 11 पर यह भी कहा है कि " **मैंने अपने बयान में यह कहा है कि मुझे भागचन्द व पवन ने लात घूसों से बहुत मारा था।"**

10 (5)- पी०डब्लू० 2 अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि " मुझे घर के सदस्य ने बताया कि बाहर झगड़ा हुआ है। फिर मैं नीचे उतरा, मैं आ ही रहा था कि **मेरे छोटे भाई राकेश पाण्डेय व हमारे पड़ोसी भागचन्द व उनका बेटा विक्की व दूसरा बेटा पवन तीनों लोग में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होते हुए मैंने देखा था।** विक्की के हाथ में पिस्टल थी। भागचन्द, विक्की के पिता जी कह रहे थे कि इसको गोली मार दो। **पवन, राकेश का हाथ पकड़े हुये थे। मैं देखा था वह लात घूसों से मार रहे थे** और विक्की गोली चला रहा था। तब मैंने देखा कि मेरे भाई राकेश को गले में गोली लगी है।"

10 (6)- पी०डब्लू० 2 अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ तीन व चार पर यह बयान दिया है कि **"होली का दिन था, सभी लोग घर पर मौजूद थे, जिस समय गोली चली मैं घटनास्थल पर मौजूद था।"** पी०डब्लू० 2 अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ छः पर यह बयान दिया है कि **"मेरे सामने विक्की उर्फ विवेक ने दो गोली चलायी**

थी। तीन गोली मेरे सामने नहीं चली थी। मेरे भाई को तीन फिट से गोली मारी गयी। **भागचन्द व पवन ने पकड़ा था।** विक्की ने गोली चलाई थी। **भागचन्द व पवन मारपीट कर रहे थे** और विक्की ने गोली चलाई थी। मेरे भाई को एक चोट थी, इसके अलावा और कोई चोट नहीं थी। कान के नीचे से गोली चली गयी थी, गोली आर पार नहीं हुई थी।"

11- वादी मुकदमा/चोटहिल द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर, विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में पवन का नाम लिया गया है तथा वह अपने अदालती बयान की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में भी यह कथन किया है कि पवन प्रश्नगत आपराधिक गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया है और घटना के समय पवन वादी मुकदमा/चोटहिल के दोनों हाथ पकड़े हुए था जिसके कारण वादी मुकदमा/चोटहिल स्वयं को बचा नहीं पाया और पवन का भाई अभियुक्त विक्की के द्वारा उस पर गोली चला कर उसे घायल कर दिया गया था। वादी मुकदमा/चोटहिल ने न्यायालय में यह भी बयान दिया है कि पवन ने उसे लात घूसों से मारा पीटा भी था। वादी मुकदमा/चोटहिल का भाई राजेश पाण्डेय पी०डब्लू० 2 के रूप में अपने अदालती बयान की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में लगभग वही बात कही है जो वादी मुकदमा/चोटहिल अपने मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में कहा है। यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा/चोटहिल की तहरीर पर अभियुक्त पवन का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था लेकिन बाद में कुछ अन्य व्यक्तियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त पवन के विरूद्ध धारा 169 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही करते हुये उसे अपराध में संलिप्त होना नहीं पाया था और उसका नाम आरोपपत्र में सम्मिलित नहीं किया था लेकिन आरोप विरचित होने के बाद वादी मुकदमा/चोटहिल पी०डब्लू० 1 तथा वादी मुकदमा/चोटहिल का भाई पी०डब्लू० 2 दोनों ही साक्षियों की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट बयान है कि पवन भी प्रश्नगत अपराध में सम्मिलित होकर अपने भाई विक्की तथा पिता भागचन्द का सहयोग किया था और घटना के समय आपराधिक गतिविधि में सक्रिय था। विक्की तथा भागचन्द पहले से ही अभियुक्त बने हुये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की सवैधानिक खण्डपीठ द्वारा निर्णीत हरदीप सिंह (उपरोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत के आधार पर वादी मुकदमा/चोटहिल पी०डब्लू० 1 तथा उसके भाई पी०डब्लू० 2 की मुख्य परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा में दिये गये बयानों का सम्यक विश्लेषण करने पर न्यायालय का यह मत है कि पी०डब्लू० 1 तथा पी०डब्लू० 2 के बयानों के आधार पर पवन पुत्र भागचन्द अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में तलब किये जाने योग्य है।

12- अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से मेल खाती है अतः अभियोजन स्वयं द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है जब कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के तथ्य एवं परिस्थितियां

प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण बचाव पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

13- उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः न्यायालय का यह मत है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करने का आधार पर्याप्त है तथा पवन अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में अन्य अभियुक्तगण के साथ विचारण किये जाने हेतु तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतिरिक्त अभियुक्त पवन पुत्र भागचन्द के विरूद्ध भी मुकदमा अपराध सख्या 134/2021 अन्तर्गत धारा 307, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता तथा 27/30 आयुध अधिनियम का संज्ञान लिया जाता है। अभियुक्त पवन को उपरोक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त पवन के विरूद्ध नियमानुसार समन जारी हो। पत्रावली अतिरिक्त अभियुक्त पवन की हाजिरी हेतु दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।

<u>दिनांक 07.05.2024</u>

(राम नेत)
चतुर्थ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट),
रायबरेली।